Q- भारतीय संविधान के सामाजिक आधार एवं दर्शन की व्याख्या कीजिए।

A- भारतीय संविधान के निर्माता भारत में संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक क्रांति लाना चाहते थे। अतः संविधान के अनेक प्रावधानों द्वारा इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास किया गया है। इसी आधार पर भारतीय संविधान को 'सामाजिक न्याय का चार्टर' कहा जाता है। पं. नेहरू ने भारतीय संविधान के 'उद्देश्य-प्रस्ताव' प्रस्तुत करते समय संविधान के सामाजिक आधार एवं दर्शन को स्पष्ट किया था। उद्देश्य-प्रस्ताव के साथ-साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी नागरिकों को सामाजिक न्याय तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करती है। जिससे किसी भेदभाव के लोगों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम अवसर दिए जाएँगे। वर्णित सामाजिक आधार एवं दर्शन के 'उद्देश्य-प्रस्ताव' तथा 'प्रस्तावना' में मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत भी सामाजिक आधार एवं दर्शन के संकेत मिलते हैं। मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सामाजिक आधार एवं दर्शन का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है—

(i) अनुच्छेद 14 में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(ii) अनुच्छेद 15 द्वारा नागरिकों के बीच धर्म, जाति,

लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के लिए नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(iii) संविधान के अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत सिर्फ धर्म, जाति, वर्ण, मूल या वंश के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार, नियुक्ति या किसी पदोन्नति के लिए नागरिकों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता।

(iv) संविधान के 17वें अनुच्छेद के अन्तर्गत किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण निषिद्ध तथा दंडनीय है।

(v) अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य की ओर से सेना तथा शिक्षा से सम्बद्ध उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियाँ हटा दी गई हैं। इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि भारतरत्न, पद्मविभूषण आदि राजकीय अलंकरणों को उपाधियाँ नहीं माना गया है।

(vi) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्रदान करते हैं।

(vii) अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान का सामाजिक न्याय स्थापित किया गया है।

(viii) अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है।

(ix) संविधान के 29वें और 30वें अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंध अधिकारों का उल्लेख है, जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की भाषा एवं संस्कृति की रक्षा करना है।

(x) राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अन्तर्गत भी संविधान के सामाजिक आधार एवं दर्शन के संकेत मिलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि "राज्य अधिक-से-अधिक प्रभावपूर्ण रूप में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था तथा सुरक्षा करे, जिसमें आर्थिक, ~~सामाजिक~~ सामाजिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो, जनता के हित के विकास का प्रयत्न करेगा और राष्ट्रीय जीवन की प्रत्येक संस्था को इस संबंध में सूचित करेगा।" अनुच्छेद 44 से 47 तक में विभिन्न सामाजिक आधारों का उल्लेख किया गया है जिनका विवरण इस प्रकार है :-

(क) राज्य समस्त देश के नागरिकों के लिए एक आचार-संहिता बनाने का प्रयत्न करे, ताकि समस्त देश में एक ही दीवानी कानून हो, जिसका आधार धर्म न रहे।

(ख) राज्य 14 वर्ष की उम्र तक के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करे।

(ग) राज्य जनता के दुर्बलतर वर्गों के, विशेषतया

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा तथा सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उन्हें बचाएगा।

(ख) राज्य लोगों के जीवन-स्तर के उन्नयन और स्वास्थ्य-सुधार के लिए प्रयत्न करेगा।

स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत में एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य निःस्वार्थ माता की तरह सभी लोगों का कल्याण करना है। इसे ही भारतीय संविधान का सामाजिक आधार और दर्शन माना जाता है। संविधान के अनुसार नागरिकों के बीच धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान, लिंग, भाषा, संपत्ति, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज के वैसे वर्ग, जिन्हें बहुत दिनों तक सताकर रखा गया है, के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे वे समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आ सकें। इस प्रकार, सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है।

—x—

By Dr. Satyaditya Singh
Associate Professor in Political Science
J.M.S. College, Munger. (Munger University)

—x—